"प्रारूप"

परिपत्र क्रमांक-......15

मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/अशग्रा/स्था/2018/ 739 - 746 भोपाल, दिनांक/10 जुलाई 2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत,
   मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत,
   मध्यप्रदेश।
7. समस्त सहायक श्रमायुक्त,
   मध्यप्रदेश।

विषयः- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, 2018 के संबंध में दिशा निर्देश।
संदर्भः- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 589/पीएस/श्रम/2018 दिनाँक 29/05/2018.

--00--

1. उक्त विषयक संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्रदेश के असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

2. मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अन्तर्गत संचालित अन्त्येष्टि सहायता योजना में पात्रता के संबंध में आंशिक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। तदानुसार उक्त संदर्भित पत्र में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

संशोधन क्रमांक-1,

कण्डिका क्रमांक-4 को कण्डिका क्रमांक-4.1 पढ़ा जावे।

संशोधन क्रमांक-2,

कण्डिका क्रमांक-4.1 के बाद कण्डिका क्रमांक 4.2 निम्नानुसार स्थापित की जाती है :-

(4.2) पंजीकृत श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य अथवा उसके आश्रित माता-पिता, जहाँ वह पृथक से पंजीकृत श्रमिक नहीं है, की मृत्यु होने पर पंजीकृत श्रमिक को उनकी अन्त्येष्टि के लिए रूपये 5000.00 की सहायता दी जावेगी।

संशोधन क्रमांक–3,

कण्डिका क्रमांक 5.9 के उपरान्त कण्डिका क्रमांक 5.10 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है:–

(5.10) कण्डिका क्रमांक 5.1 से 5.9 में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप ही कण्डिका क्रमांक 4.2 में उल्लिखित मृत्यु के प्रकरण में अन्त्येष्टि सहायता की राशि पंजीकृत श्रमिक को दी जावेगी।

संशोधन क्रमांक–4,

संदर्भित परिपत्र में परिशिष्ट–1, जिसमें अन्त्येष्टि सहायता के अन्तर्गत पंचनामा का प्रारूप संलग्न किया गया है में निम्नानुसार नोट जोड़ा जाता है:–

नोट:– कण्डिका क्रमांक–4.2 के अन्तर्गत मृत्यु के प्रकरण में पंचनामा के सरल क्रमांक–3 पर अंकित मृतक के पंजीयन क्रमांक के स्थान पर पंजीयत श्रमिक, जिसके परिजन की मृत्यु पर सहायता राशि दी जाना है, का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जावे।

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/ अशग्रा/स्था /2018/ 739-746 भोपाल, दिनांक/ 0 जुलाई 2018

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. विषेष सहायक, मान0 मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल।
4. श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेषक राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, सी–विंग, बेसमेंट विध्यांचल भवन, भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग